



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त हरपाल सिंह पुत्र मान सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे है अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.03.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा वाद सं0 519/12 अपराध 216/10 धारा 363/366/376 भादवि0 में वांछित 01 नफर अभियुक्त हरपाल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी दाराबोझी मजरे बनवीरपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हरपाल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी दाराबोझी मजरे बनवीरपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 फरीद खान
2. का0 जयदीप सिंह

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.03.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी 1. चेताराम पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम भिडौरी थाना तिकुनिया जनपद खीरी 2. सोहन लाल पुत्र ढोढ़े निवासी ग्राम भिडौरी थाना तिकुनिया जनपद खीरी सम्बन्धित वाद सं० 1368/22 धारा 452/504/323 भादवि० को गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. चेताराम पुत्र चन्द्रभाल निवासी ग्राम भिडौरी थाना तिकुनिया जनपद खीरी
2. सोहन लाल पुत्र ढोढ़े निवासी ग्राम भिडौरी थाना तिकुनिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० बलराम सिंह यादव, थाना तिकुनिया
2. का० सोविन्द्र कुमार

थाना निघासन पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पुत्तीराम पुत्र जियाराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे है अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.03.2023 को थाना निघासन पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पुत्तीराम पुत्र जियाराम निवासी ग्राम चमारनपुरवा मजरा गौरिया थाना निघासन जनपद खीरी को सम्बन्धित मु0सं0 11187/10 धारा 147/148/308 भा0दं0वि0 को गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

पुत्तीराम पुत्र जियाराम निवासी ग्राम चमारनपुरवा मजरा गौरिया थाना निघासन जनपद खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 01 नफर वारंटी सिराज उर्फ छन्नू पुत्र मखबूल को
गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.03.2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त सिराज उर्फ छन्नू पुत्र मखबूल नि० ग्राम हाथीपुर थाना कोतवाली जनपद खीरी को संबंधित वाद सं०- 326/22 मु०अ०सं० - 126/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सिराज उर्फ छन्नू पुत्र मखबूल नि० ग्राम हाथीपुर थाना कोतवाली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस-

1. म०उ०नि० साधना यादव, थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
2. का० राहुल सोनकर थाना कोतवाली सदर
3. का० राज पाण्डेय थाना कोतवाली सदर

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, नेपाल से तस्करी कर लाये जा रहे ट्रैक्टर को बरामद किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.03.2023 को क्षेत्राधिकारी पलिया महोदय के कुशल मार्गदर्शन में थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा भारत नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी, संदिग्ध वाहन के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत ग्राम कृष्णानगर से दलवीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी कमलापुरी थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी जो एक ट्रैक्टर स्टैण्डर्ड-450 डीआई , रंग नीला को चालक द्वारा नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था। चेंक किये जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने तथा कोई संतोषजनक जबाव न देने के कारण कब्जा पुलिस में लिया गया। उक्त बरामद ट्रैक्टर को सीमा शुल्क अधिकारी महोदय पलिया, जनपद खीरी के यहाँ वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 आशीष सहरावत थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
2. हे0का0 जितेन्द्र गौड थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी
3. का0 अंचल वर्मा थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 04 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.03.2023 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण 1.लाखन पुत्र पुत्तु नि0ग्राम कटैया थाना भीरा जनपद खीरी सम्बन्धित बाद सं0 - 782/18 धारा 27,29,31,51 WLP व 2.26 F ACT 2.रतीराम पुत्र पुत्तु नि0ग्राम कटैया थाना भीरा जनपद खीरी सम्बन्धित बाद सं0 - 5045/08 धारा 2(16),09,27,29,31,39,51(1) WRP ACT 3.हरिया उर्फ हरीराम पुत्र केदारी नि0ग्राम कटैया थाना भीरा जनपद खीरी सम्बन्धित वाद सं0 - 5045/08 धारा 2(16),09,27,29,31,39,51(1) 4.रामेश्वर पुत्र शोभा नि0ग्राम कटैया थाना भीरा जनपद खीरी सम्बन्धित वाद सं0 - 7361/09 धारा 2(16),09,27,29,39 WRP ACT व वाद सं0 8237/09 धारा 40,(2)51(1),51(1A) WLP ACT व 25 A ACT व वाद सं0 5821/08 धारा 2(16),9,27,29,30,31,39,57 WLP ACT को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

गिरफ्तार वारंटियों का विवरण:-

- 1.लाखन पुत्र पुत्तु
- 2.रतीराम पुत्र पुत्तु
- 3.हरिया उर्फ हरीराम पुत्र केदारी
- 4.रामेश्वर पुत्र शोभा नि0गण ग्राम कटैया थाना भीरा जनपद खीरी

पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 आलोक कुमार राय, थाना भीरा
- 2.आ0 संजीव कुमार, थाना भीरा
- 3.आ0 धीरेन्द्र सिंह, थाना भीरा

खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए 01 टाटा मैजिक को किया गया सीज; कुल 10,500 रुपये का शमन शुल्क किया गया अधिरोपित



आज दिनांक 01.03.2023 को थाना थाना मोहम्मदी क्षेत्रान्तर्गत एक सवारी वाहन टाटा मैजिक चालक द्वारा सवारियों को गेट पर बैठाकर तथा पीछे खड़ा करके ले जाते हुए एक वीडियो ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल था जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के मार्गदर्शन व प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी के निर्देशन में चौकी प्रभारी कस्बा मोहम्मदी, श्री दीपक राठौर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान रामलीला गेट कस्बा मोहम्मदी पर वाहन संख्या यूपी 31 ए0टी0 1720 को रोका गया तस्दीक में सही पाये जाने पर उपरोक्त वाहन को खतरनाक ढंग से चलाने व बिना कागजात के अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज करते हुए कुल 10,500 रूपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 178 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **178 लीटर** अवैध कच्ची व **03 शराब भट्टी** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।